BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 143 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUNIL VAID & ANR. …… APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …… RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Report on behalf of the Respondent No. 3, Ghaziabad Development Authority to in Compliance to Order Dated 06.10.2023 passed by Hon'ble NGT, Principal Bench New Delhi.	1-6
2.	Affidavit	7
3.	**ANNEXURE-A** The minutes of meeting dated 08.11.2023 bearing ref. No. *191/S.T.-D.M./Collectorate/2023* dated 10.11.2023	8
4.	**ANNEXURE-B** Copy of Letter bearing Ref. No. *274/Udyan/2023* dated 16.11.2023	9-10
5.	**ANNEXURE-C** The True Copy of letter dated 11.08.2022 bearing Ref. No. Letter-979/Horticulture/2022	11-13
6.	**ANNEXURE-D** True Copy of Transfer dated 31.03.2004	14

RESPONDENT NO. 3

2

THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record,Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE ON RECORD
A-131, LGF, Noida Sector 46,
Uttar Pradesh- 201301
Email: yagyawalkyasingh@gmail.com
Contact: +91- 7838848157

Date: 30.12.2023
Place: New Delhi

3

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 143 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUNIL VAID & ANR. …… APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …… RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 3, GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY IN COMPLIANCE TO ORDER DATED 06.10.2023 PASSED BY HON'BLE NGT, PRINCIPAL BENCH NEW DELHI.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Present Report is being filed on behalf of the Respondent No. 3, Ghaziabad Development Authority in Compliance to Order dated 06.10.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench New Delhi.
2. That vide Order dated 06.10.2023, the District Magistrate, Ghaziabad was directed to convene a meeting of Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation, CEO, U.P. Awas Evam Vikas Parishad for resolving all the issues regarding proper maintenance of the public parks and removal of encroachments. In compliance to the same a meeting was convened by the DM, Ghaziabad on 08.11.2023 of which minutes were recorded. The minutes of meeting dated 08.11.2023 bearing ref. No. *191/S.T.-D.M./Collectorate/2023* dated 10.11.2023 is hereby marked and annexed as **ANNEXURE- A**.

ओमसिंह
उद्यान निरीक्षक

शशि कुमार भारती
उद्यान अधिकारी

4

3. That in compliance to Point No. 1 of the Minutes of Meeting, the Horticulture Officer, Ghaziabad Development Authority vide Letter bearing Ref. No. *274/Udyan/2023* dated 16.11.2023 issued detailed estimates and proposed plan concerned to regular maintenance of Vaishali situated Chitragupt Park, Dr. Bhimrao Ambedkar Park and Podium Park by the Authority. The Copy of Letter bearing Ref. No. *274/Udyan/2023* dated 16.11.2023 is hereby marked and annexed as **ANNEXURE-B**
4. That it is most pertinent to highlight that the Respondent No. 3 has issued letter dated 11.08.2022 bearing Ref. No. *Letter-979/Horticulture/2022* to Ghaziabad Nagar Nigam for taking over public parks and their regular maintenance. But the same has not been complied as of date and the parks are not being maintained. As per the directives of Hon'ble NGT and decision taken in Board Meeting of Municipal Corporation, the maintenance of parks in the area of Municipal Corporation being done by Respondent No. 3 was to be done by the Municipal Corporation.
5. That the work of maintenance of parks and green belts being maintained by the Respondent No. 3 in the previously transferred schemes, is currently not being met due to unavailability of infrastructure fund and due to the above schemes having already been transferred to the Municipal Corporation. In light of such compelling circumstances, the aforesaid letter dated 11.08.2022 was issued to the Municipal Corporation by Respondent No. 3. The True Copy of letter dated 11.08.2022 bearing Ref. No. *Letter-979/Horticulture/2022* is hereby marked and annexed as **ANNEXURE C**.

ओमसिंह
उद्यान निरीक्षक

शशि कुमार भारती
उद्यान अधिकारी

6. It is pertinent to highlight that the transfer of roads, drains, sewer, Parks, Green Belts, Electricity of Vaishali Scheme of the Respondent No. 3 was already done on 31.03.2004 through the then Superintendent Engineer of Respondent No. 3 to the then Executive Engineer of Ghaziabad Municipal Corporation. The True Copy of Transfer dated 31.03.2004 is hereby marked and annexed as **ANNEXURE D**.
7. That in compliance to Order dated 06.10.2023 of Hon'ble NGT, Principal Bench, the point no. 2 of the minutes of meeting chaired by the District Magistrate Ghaziabad it was resolved that the illegal encroachment in and around the above named four parks shall be removed within seven (07) days by the Executive Engineer Zone 06 with the support of Municipal Corporation. Compliance to the said directives is awaited by the Executive Engineer Zone 06.
8. That in reference to point no. 3 of the minutes of meeting chaired by the District Magistrate, Ghaziabad it was apprised by Sh. Anuj Kumar Singh Horticulture Officer, Municipal Corporation it was informed that the proposal for Maintenance of the above named Four Parks was inducted and approved in the board meeting of the Ghaziabad Municipal Corporation and the same shall be complied with takeover of the said parks and their regular maintenance in order to effectuate the decision of Board Meeting. Hence, no compliance is required in respect to the Point No. 3 of the MoM dated 06.10.2023 by the Respondent No. 3.

ओमसिंह
उद्यान निरीक्षक

शशि कुमार भारती
उद्यान अधिकारी

6

It is hereby prayed in compliance to the order dated 06.10.2023 accordingly.

शशि कुमार भारती
उद्यान अधिकारी

RESPONDENT NO. 3

ओमसिंह
उद्यान निरीक्षक

THROUGH COUNSEL

YAGYAWALKYA SINGH
Advocate-On-Record, Supreme Court
Reg. No. UP4143A/14
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block
Supreme Court of India
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida
Ph.: 7838848157, 9315614163

YAGYAWALKYA SINGH
ADVOCATE ON RECORD
A-131, LGF, Noida Sector 46,
Uttar Pradesh- 201301
Email: yagyawalkyasingh@gmail.com
Contact: +91- 7838848157

Date: 30.12.2023
Place: New Delhi

7

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 143 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUNIL VAID & ANR. …… APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ……RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Shashi Kumar Bharti, S/o Ganga Charan Bharti aged about 42 years, Presently posted as: ______________, GDA; __________ and R/o C-233 Gali no. 6 Near Gaur Home, Govindpuram, Ghaziabad PRESENTLY AT DELHI do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am the authorized representative of the Respondent No. 3 in the aforesaid matter and am well conversant with facts and circumstances of the case and am competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying Compliance Report have read over to me, which I understood and I state that the contents from para 01 to 08 are based on the records maintained by me.
3. That the Annexures filed along with the Compliance Report are true copies of their respective originals.

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 19718 Date of Expiry 26.02.2025 Govt. of India

IDENTIFIED

DEPONENT

ओमसिंह उद्यान निरीक्षक

VERIFICATION: 11 JAN 2024

Verified at New Delhi on this _____ day of December, 2023 that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

ओमसिंह उद्यान निरीक्षक

11 JAN 2024

ATTESTED
NOTARY PUBLIC DELHI
Govt. of India
Mob.: 9654768498

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD
फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 191 /एस0टी0–डी0एम0/कलेक्ट्रेट/2023 दिनांक : 10 नवम्बर, 2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 सं0–143/2023 सुनील वैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06–10–2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–143/2023 सुनील वैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वाद के सम्बन्ध में वैशाली गाजियाबाद स्थित चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्णा पार्क एवं पोडियम पार्क में वहॉ के स्ट्रीट वेंन्डर्स द्वारा एम0एस0डब्लू0 डम्प किये जाने तथा पार्कों में अतिकमण किये जाने के विरूद्ध योजित याचिका के सम्बन्ध में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06–10–2023 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को नोड़ल अधिकारी नामित किया गया है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 08–11–2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गाजियाबाद स्थित महात्मा गॉधी सभागार में बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया :–

1– श्री मानवेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2– श्री अनुज कुमार सिंह, उद्यान अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।
3– श्री राकेश चन्द्रा, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
4– श्री एस0के0 भारती, उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5– श्री कुॅवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

बैठक में लिए गये निर्णय :–

बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं उद्यान अधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वह उपरोक्त 04 पार्कों के व्यय के सम्बन्ध में जानकारी/आंकलन अविलम्ब नगर निगम को उपलब्ध करायें साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित पार्कों के अनुरक्षण सम्बन्धी आंकलन/अग्रेत्तर कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 07 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–नगर निगम व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

9

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद
(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 215/उद्यान/23 दिनांक 16/11/2023

प्रेषक,

उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रभारी उद्यान
नगर निगम
गाजियाबाद।

विषयः— वैशाली योजना स्थित चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, श्री कृष्ण वाटिका एवं पोडियम पार्क के रख—रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु दिनांक 08.11.2023 को अपरान्ह 11:00 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम के प्रभारी उद्यान, अधिशासी अभियन्ता एवं प्राधिकरण के उद्यान अधिकारी उपस्थित थें। बैठक में आपसी विचार—विमर्श उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर स्थल हैण्ड ओवर की कार्यवाही की जाए, तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त पार्कों के रख—रखाव का आगणन तैयार कर नगर निगम को प्रेषित किया जाए। तदक्रम में अवगत कराना है कि उक्त पार्कों के आगामी रख—रखाव कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार कर दिया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

(एस0के भारती)
उद्यान अधिकारी

पृष्ठाकंन सं0:—
प्रतिलिपिः— दिनांकः / /2023

1. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।

16/11/2023

(एस0के भारती)
उद्यान अधिकारी

Ra.C.

350

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 214 /उद्यान/23 दिनांक 16 / 11 / 2023

प्रेषक,

उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकसा प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रभारी उद्यान
नगर निगम
गाजियाबाद।

विषयः– वैशाली योजना स्थित चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, श्री कृष्ण वाटिका एवं पोडियम पार्क के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु दिनांक 08.11.2023 को अपरान्ह 11:00 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी थी. जिसमें प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम के प्रभारी उद्यान, अधिशासी अभियन्ता एवं प्राधिकरण के उद्यान अधिकारी उपस्थित थें। बैठक में आपसी विचार–विमर्श उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर स्थल हैण्ड ओवर की कार्यवाही की जाए, तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त पार्कों के रख–रखाव का आगणन तैयार कर नगर निगम को प्रेषित किया जाए। तदक्रम में अवगत कराना है कि उक्त पार्कों के आगामी रख–रखाव कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा आगणन तैयार कर दिया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

(एस0के भारती)
उद्यान अधिकारी

पृष्ठाकंन सं0:– 214 I, II, III. दिनांकः 16/11 /2023

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।

(एस0के भारती)
उद्यान अधिकारी

HAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
GHAZIABAD (U.P.)
HORTICULTURE SECTION
Estimate

Name of work : वैशाली योजना स्थित अम्बेडकर पार्क, चित्रगुप्त पार्क, पोडियम पार्क, श्री कृष्ण वाटिका, मेट्रो जोन पॉकेट--ए, बी, सी, डी व वैशाली पार्किंग तथा कौशाम्बी स्थित डा0 अम्बेडकर पार्क का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।

S.N.	Item	unit	Qty	rate	Amount
1	Complete maintenance of the entire garden features having as per yard stick in the garden area i.e. lawn trees, shrubs, herbs, edge, flower beds, foliages, creepers etc. including hoeing,weeding pruning replacement of plants, gap filling, watering, mowing of lawn, grass cutting by lawn mover and brush cutter, removal of garden waste, applying insecticide, pesticide & fertilizers (whenever required) top dressing of lawn with good earth and menure and maintenance of other garden related works as directed by office-in-charge (Cost of Good Earth, Manure, Fertilizer, Insecticide, Pesticide will be provided by the Department & lawn mover and brush cutter with fuel, other T & P material/articles shall be provided by the contractor.) (Qty for 12 month & 60017.01 sqm per month = 720204.12 sqm) (Rate for 2.99 sqm per month 2.40.1 DSR. 2020	sqm	720204.12	2.99	2153410.32
2	Provision of Sweeper for Sweeping of Path area, praking, gate & Cleaning of Toilet. SOR 2022 (qty. for 365 days x 02 nos per day = 730 nos) (Rate for 400.00 per day)	nos	730.00	400.00	292000.00
	Total				2445410.32
	GST 18%				440173.86
	Grand Total				2885584.18
	Say Rs=				2885585.00

(Hort. Inspector)

(Horticulture Officer)

12

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 79/उद्यान/22 दिनांक 11/08/2022

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम
गाजियाबाद।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में पार्क/हरित पट्टी रख–रखाव सम्बन्ध में।

महोदय,

प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाऐं राजनगर, संजयनगर, कविनगर, विवेकानन्द नगर, लो... नगर, शास्त्रीनगर, वैशाली, कौशाम्बी, नन्दग्राम, गोविन्दपुरम, राजेन्द्र नगर पूर्व में नगर निगम गाजियाबाद हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसमें इन योजनाओं के समस्त पार्क तथा ग्रीन बैल्ट भी पूर्व से हस्तान्तरित किये चुके है, लेकिन हस्तान्तरित योजनाओं के कुछ पार्कों तथा ग्रीन बैल्ट का रख–रखाव प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराया जा रहा था। शासन द्वारा विगत पॉच वर्षों में प्राधिकरण को स्टाम्प देयता की धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। वर्तमान में अवस्थापना निधि में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है।

अतः पूर्व में हस्तान्तरित योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे पार्कों व ग्रीन बैल्ट रख–रखाव का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

क्र0सं0	स्थल /कार्य का नाम
1.	वैशाली योजना में अंसल प्लाजा के सामने स्थित गार्डन का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
2.	वैशाली योजना स्थित पोडियम पार्क एवं श्री कृष्ण वाटिका पार्क का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
3.	वैशाली योजना स्थित चित्रगुप्त पार्क, डा0 अम्बेडकर पार्क, मेट्रो जोन पॉकेट–ए, बी, सी एव डी, वैशाली मेट्रो. पार्किंग में 2000 नग पौधे तथा डा0 अम्बेडकर पार्क कौशाम्बी में 2500 नग पौधों का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव
4.	रेलवे लाईन से वसुन्धरा कट तक एलिवेटिड रोड के नीचे उद्यानीकरण का रख–रखाव का कार्य।
5	शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क एवं सामुदायिक केन्द्र का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
6.	हिण्डन बैराज से एन0एच0–24 तक नवनिर्मित रोड़ के दोनो तरफ 10000 नग पौधो का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
7.	नये बस अड्डे से मोहन नगर चौराहे तक मेट्रो के नीचे सेन्ट्रल वर्ज का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
8.	हिण्डन पुल जी0टी0 रोड़ से हिण्डन बैराज तक सौन्दर्यीकरण का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
9.	हिण्डन कट कैनाल की रोड के किनारे रोपित 8864 नग पौधों का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
10.	जिला मुख्यालय प्रागण का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।

11.	मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित ग्रीन पट्टी का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
12.	हापुड मोड़ ठाकुरद्वारा फ्लाई ओवर से डासना फ्लाई ओवर तक रोड़ के दोनो तरफ हरित पट्टी का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
13.	वैशाली योजना के सैक्टर–5 में रामलीला पार्क का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
14.	हिण्डन रिवर मेट्रो स्टेशन के समीप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस व स्वामी विवेकानन्द पार्क का कार्य।
15.	आनन्द इण्डस्ट्रीयल एरिया स्थित हुनमान पार्क का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
16.	गोविन्दपुरम रोड नम्बर–3 की सेन्ट्रल वर्ज, एस0डी0 कालोनी का पार्क व शमशान घाट में सत्र 2020–21 मे रोपित 5000 नग पौधों का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
17.	शास्त्रीनगर योजना में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
18.	हापुड चुंगी से संजयनगर फ्लाई ओवर तक व संजयनगर फ्लाई ओवर से हापुड रोड़ फ्लाई ओवर तक, हापुड रोड फ्लाई ओवर से विवेकानन्द नगर तक एवं विवेकानन्द नगर से हापुड चुंगी तक रोड़ दोनो तरफ हरित पट्टियों का उद्यानिक रख–रखाव।
19.	राजनगर एक्सटेंशन की आन्तरिक सड़को पर रोपित 9300 नग पौधों का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
20.	नन्दग्राम योजना स्थित सेन्ट्रल वर्ज का उद्यानिक विकास का कार्य।
21.	नन्दग्राम योजना स्थित 04 नग पार्कों का सुदृढीकरण एवं उद्यानिक विकास का कार्य।
22.	राजनगर एक्सटेंशन की मुख्य मार्ग की सेन्ट्रल वर्ज व रोड साईड में लगे पौधों का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
23.	मेरठ रोड़ पर राजनगर एक्सटेंशन के सामने फ्लाई ओवर के नीचे उद्यानिक सौन्दर्यीकरण का कार्य।
24.	संजयनगर सैक्टर–23 शिल्प उद्यान का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
25.	राजनगर योजना में स्थित सेन्ट्रल पार्क, सैक्टर–2 व सैक्टर–3 पार्क।
26.	हिण्डन नदी के किनारे कनावनी से लेकर यू0पी0 गेट तक लगे पौधों का उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।
27.	जिला ऑफिसर क्लब का पार्क।
28.	कविनगर के0डी0बी0 के समाने गेस्ट हाउस के पार्क।
29.	शास्त्रीनगर योजना स्थित कार्टे पार्क के पीछे ग्रीन बैल्ट/पार्क में पौध उत्पादन एवं संचालन का कार्य।

वर्तमान में अवस्थापना निधि में धनराशि उपलब्ध न होने तथा उपरोक्त योजनाओं को पूर्व से नगर निगम को हस्तान्तरण होने के कारण उपरोक्त कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त कार्यों का रख–रखाव दिनांक 15.08.2022 के उपरान्त नगर निगम द्वारा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह)
उपाध्यक्ष

14

12

[illegible]बाद विकास प्राधिकरण

पत्र सं० 134/4/PALSE/04 दिनांक 31-3-2004

की सडक, नाला, नालियां, पार्क [illegible]
आज दिनांक 31.3.04 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वैशाली योजना के सैक्टर-7/8, 5, 3 मे निर्मित तीन सीवर पम्पिंग [illegible] पट्टी, विद्युत, सीवर (वैशाली योजना के डिस्पोजल हेतु [illegible] राईजिंग मेन सहित) वाटर सप्लाई (वैशाली योजना की पेयजल आपूर्ति [illegible] व इन्दिरापुरम मे पाइंट-54 ई तक डाली गई राईजिंग मेन सहित) सोलिड वेस्ट [illegible] योजना के 9 नलकूप एवं पांच अपर जलाशय तथा जलापूर्ति हेतु डाली गई समस्त लाइनों) सोलिड वेस्ट [illegible] सम्बन्धित समस्त कार्य को गाजियाबाद नगर निगम द्वारा रखरखाव हेतु टेक ओवर किया गया तथा जो कार्य आज की तिथि तक होने शेष है एवं मौके पर मौजूद अवस्थापना सुविधाओं मे जो कमियां है उनको ठीक कराने हेतु धनांक 391 लाख का चैक सं0 725788 विजया बैंक गाजियाबाद दिनांक 31.3.04 गाजियाबाद नगर निगम ने प्राप्त कर लिया है। आज के बाद इस कालोनी के समस्त विकास एवं समस्त सेवाओं का रखरखाव गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया जायेगा । [illegible] मे निर्मित बहुमंजिली इमारतों मे कुछ सर्विसेज एसी है, जो अभी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मैन्टेन की जायेंगी [illegible] उनके सर्विस चार्ज भी प्राधिकरण द्वारा वसूल किये जायेंगे जिनका विवरण संलग्नक (ए) मे संलग्न है। बहुमंजिली [illegible] की समस्त बाहय सर्विसेज नगर निगम द्वारा मैन्टेन की जायेगी । फिलहाल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ [illegible] कराये जा रहे है एवं जो कार्य स्वीकृत है, वह लगभग धनांक 820.58 लाख के है, उनका विवरण संलग्नक-बी मे [illegible] है जिन्हे प्राधिकरण पूर्ण करायेगा। सीवेज डिस्पोजल हेतु जो एस.पीएस वैशाली के सैक्टर 7/8, 5, 3 मे निर्मित है [illegible] पर एक एक जनरेटर व जनरेटर रूम प्राधिकरण के द्वारा तीन माह मे बनाया जायगा ।

गंगाजल योजना के अंतर्गत जो सिस्टम डवलप किया गया है उसका ऑपरेशन व मेन्टीनेन्स 3000 जल [illegible] सी. एण्ड डी.एस. यूनिट द्वारा अगले छः माह तक किया जायेगा, जिसका भुगतान प्राधिकरण के द्वारा उन्हे किया जायेगा [illegible] यह अवधि समाप्त होने पर इस सिस्टम को नगर निगम को हैण्ड ओवर किया जायेगा । इसके अतिरिक्त वैशाली के सैक्टर-1 मे निर्माणाधीन 2000 कि.ली. क्षमता का अपर जलाशय जिसकी निर्माण अवधि 19.9.04 को समाप्त होगी । निर्माणोपरान्त इसे नगर निगम को हैण्ड ओवर किया जायेगा। वैशाली योजना की जलापूर्ति लाईनों के अनुरक्षण हेतु [illegible] एन. गुप्ता एण्ड कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध संख्या 575/ए.ओ./ई.ई.5/दिनांक 3.3.04 द्वारा धनांक 6.32 लाख [illegible] अनुबंध प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसकी कार्य अवधि 27.02.04 से 26.2.05 तक है, को आज की तिथि [illegible] निगम गाजियाबाद को हस्तगत किया जाता है।

इस अवधि मे प्राधिकरण द्वारा वैशाली योजना के सैक्टर 3 व 5 मे निर्मित 2500 कि.ली. व 5000 कि.ली. क्षमता के जलाशय पर स्टाफ क्वार्टर व बाउन्ड्री वाल का निर्माण भी प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा । इसके अतिरिक्त [illegible] कोई व्यय प्राधिकरण के द्वारा इस योजना मे नहीं किया जायगा आज की तिथि के बाद योजना से सम्बन्धित [illegible] यू.जी.आर. के विद्युत संयोजन, एस.पी.एस. व स्ट्रीट लाईट आदि के विद्युत बिलो का भुगतान भी नगर निगम द्वारा [illegible] जायेगा । 31.3.04 तक के अवशेष सर्विस चार्ज की वसूली का अधिकार प्राधिकरण के पास रहेगा [illegible]

हस्तानान्तरित	हस्तगत
31/3/04	
एस.पी.एस. राघव	रामपाल सिंह वर्मा
अधीक्षण अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	गाजियाबाद नगर निगम

अवलोकित

डी.पी. सिंह	31.3.2004
डी.पी. सिंह	आर०बी० मौर्य
उपाध्यक्ष,	नगर आयुक्त,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	गाजियाबाद नगर निगम

EE-5

उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही हेतु

एस.पी.एस.
अधीक्षण अभि०